

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) नावां जिला डीडवाना-कुचामन

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती जीतू कुलहरी (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा-136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

- :: आदेश :: -

दिनांक : 20.06.2025

निम्न प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के लिए प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर. एल.आर. एक्ट में प्रस्तुत कर प्रार्थी स्वयं का नाम, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान एवं हिस्सा दुरुस्ती इत्यादि दुरुस्त करवाने का निवेदन किया गया। जिसके संलग्न दस्तावेज यथा-नकल जमाबंदी, जन आधार, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, इत्यादि के आधार पर एवं मुताबिक रिपोर्ट संबंधित पटवारी हल्का, संबंधित भूअ. निरीक्षक/तहसीलदार/नायब तहसीलदार मारोठ की अभिशंषा पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्ध/दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रार्थना संख्या	नाम प्रार्थी	ग्राम का नाम /पटवार हल्का	खाता संख्या	अशुद्ध नाम/प्रविष्टी	शुद्ध व दुरुस्त किये जाने वाला इन्द्राज
202/2025	कालूराम पुत्र भूराराम	मूण्डगसोई / मूण्डगसोई	103	कालू पुत्र भूरा हिस्सा 1/4 कालू पुत्र भूरा हिस्सा 1/12	कालूराम पुत्र भूराराम हिस्सा 1/3
203/2025	नारायणराम पुत्र रामूराम जाति-जाट	मारोठ/मारोठ	137	नारायणराम पुत्र धापूदेवी जाट	नारायणराम पुत्र रामूराम जाति-जाट
204/2025	गोपाल पुत्र नाथूराम	चम्पापुरा / देवलीकलां	55	गोपालराम पुत्र नाथूराम	गोपाल पुत्र नाथूराम
205/2025	भादरसिंह पुत्र सांवतसिंह राजपूत	श्यामगढ़ / श्यामगढ़	87, 88	बहादूरसिंह पुत्र सांवतसिंह राजपूत	भादरसिंह पुत्र सांवतसिंह

नोट - संबंधित खाता/खसरा नं. के रहन होने की स्थिति में संबंधित बैंक आदेशानुसार अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करे।

यह आदेश आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी RAS)
उपखण्ड अधिकारी नावां

क्रमांक : राजस्व/कोर्ट/2025/202-205
प्रतिलिपि :-

दिनांक : 20.06.2025

1. तहसीलदार नावां/उप तहसीलदार मारोठ/लूणवां को भेजकर लेख है कि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे।
2. संबंधित प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी नावां
उपखण्ड अधिकारी
नावां